न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
001/2022 (रे.अ.) (GCMS 2022/40)	21.03.2022	10.08.2022

अनवान

1. कुका पिता डूंगा जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी सोकिया तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़।
2. देवीलाल पिता डूंगा जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी सोकिया तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :– छोगालाल जाट — अधिवक्ता अपीलार्थी
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) — अधिवक्ता प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार बस्सी बमिसल क्रमांक 9/2021 अतिक्रमण निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.08.2021

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध प्रत्यर्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व आदेश 05.08.2021 न्याय, नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय में पटवारी हल्का सोनगर ने दिनांक 17.04.2021 को रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलांटगण अतिक्रमी ने मौजा सोकिया तहसील चित्तौड़गढ़ की बिलानाम आराजी नम्बर 2077 रकबा 3.22 हैक्टेयर संवत् 2077 में अतिक्रमण कर तारबन्दी कर दी हैं, जिससे बिलानाम आराजी से अतिक्रमण हटवाया जावें, उक्त आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलांटगण अतिक्रमी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाब हेतु

Web Copy - Not Official

अवसर चाहा जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने आगामी तारीख पेशी 12.07.2021 नियत की गई व उक्त दिनांक को जवाब प्रस्तुत नहीं होने से आगामी पेशी 23.07.2021 नियत की गई व दिनांक 23.07.2021 को अपीलांटगण अतिक्रमण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 05.08.2021 को नोटिस पारित किया जाकर अपीलांटगण को विवादित कृषि आराजीयात से बेदखल किया जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित कृषि आराजीयात बिलानाम कृषि योगय भूमि होने से अपीलांटगण सगे भाई होकर पुराना कब्जा होकर नियमन योग्य कब्जा होकर नियमन योग्य कब्जा चला आ रहा है, जिससे उक्त कृषि आराजीयात अपीलांटगण के नियमन योगय है फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण की नियमन योग्य भूमि के संबंध में बेदखली व लगान का पचास गुणा पेनाल्टी आरोपित किया जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर संक्षिप्त कार्यवाही किये बगैर अपीलांटगण के विरूद्ध बेदखली व लगान की पचास गुणा पेनाल्टी राशि आरोपित किया जाने निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किया जाने योग्य है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर बेदखली का निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.08.2021 को पारित कर दिया जिसकी सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 29.09.20221 को हुई उसी दिन अधीनस्थ विचारण न्यायालय में निर्णय एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निर्णय एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तत्पश्चात् कोरोना माहमारी से पीडित होने के कारण अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। तत्पश्चात् विधि सलाहकार से राय प्राप्त कर अपील अपीलांटगण बाद जानकारी अन्दर मयाद पेश है फिर भी अपील में हुए विलम्ब को विस्तारित फरमाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मयाद अधिनियम मय शपथपत्र के अलग से पेश है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील बहक अपीलांटगण स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 05.08.2021 निरस्त फरमाया जाकर विवादित कृषि आराजीयात अपीलांटगण के नियमन फरमाई जावें।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रत्यर्थी की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार बस्सी के पत्रांक/राजस्व/2022 /302 दिनांक 05.04.2022 से से उनकी मूल पत्रावली संख्या 009/2021 निर्णय दिनांक 05.08.2021 अनवानी सरकार बनाम कुका पिता डूंगा जाति गुर्जर निवासी सोकिया वगैराह अन्तर्गत धारा 91

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है। दिनांक 10.08.2022 को राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण को सीधे बहस हेतु रखा गया।

दिनांक 10.08.2022 को अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र एवं गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर बेदखली का निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.08.2021 को पारित कर दिया जिसकी सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 29.09.20221 को हुई उसी दिन अधीनस्थ विचारण न्यायालय में निर्णय एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निर्णय एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तत्पश्चात् कोरोना माहमारी से पीडित होने के कारण अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। तत्पश्चात् विधि सलाहकार से राय प्राप्त कर अपील अपीलांटगण बाद जानकारी पश्चात् बिना किसी देरी के अन्दर अवधि में यह अपील पेश है। इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर बाद तामील नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है, अपीलार्थी/अप्रार्थी को नोटिस का तामील होने से प्रकरण की जानकारी हो चुकी थी, एवं अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण की और से अधिवक्ता दिनांक 28.06.2021 को उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर चाहा गया इस अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। इसके पश्चात् अपीलार्थीगण/अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि पूर्वक निर्णय पारित किया। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा स्वयं इस तथ्य को बताया गया है कि अपीलार्थी का निर्णय दिनांक 05.08.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 29.09.2021 को प्राप्त हुई जिसे अपीलार्थी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिलिपि अपीलार्थी को दिनांक 29.09.2021 को प्राप्त होने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा अपील दिनांक 02.03.2022 को प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा कोरोना माहमारी का कथन किया गया है तो इस संबंध में अपीलार्थीगण की और से कोई ठोस दस्तावेजी/प्रमाण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये गये है, ऐसी स्थिति में जानकारी होने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिस से अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अपीलार्थी ने अपीलार्थी का अपील उद्देश्य व्यर्थ हो जायेगा और अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली कार्यवाही होने से भारी परेशानी बढ़ जायेगी जिससे भी अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित हैं। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रकरण में मियाद के साथ–साथ गुणावगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता है, अतः प्रार्थना पत्र के निर्णय को रिवर्ज करते हुये पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

इस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में पटवारी हल्का सोनगर ने दिनांक 17.04.2021 को रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलांटगण अतिक्रमी ने मौजा सोकिया तहसील चित्तौड़गढ़ की बिलानाम आराजी नम्बर 2077 रकबा 3.22 हैक्टेयर संवत् 2077 में अतिक्रमण कर तारबन्दी कर दी हैं, जिससे बिलानाम आराजी से अतिक्रमण हटवाया जावें। रिपोर्ट पटवारी हल्का पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलांटगण अतिक्रमी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाब हेतु अवसर चाहा जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने आगामी तारीख पेशी 12.07.2021 नियत की गई व उक्त दिनांक को जवाब प्रस्तुत नहीं होने से आगामी पेशी 23.07.2021 नियत की गई व दिनांक 23.07.2021 को अपीलांटगण अतिक्रमण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 05.08.2021 को नोटिस पारित किया जाकर अपीलांटगण को विवादित कृषि आराजीयात से बेदखल किया जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं। विवादित कृषि आराजीयात बिलानाम कृषि योग्य भूमि होने से अपीलांटगण सगे भाई होकर पुराना कब्जा होकर नियमन योग्य कब्जा होकर नियमन योग्य कब्जा चला आ रहा है, जिससे उक्त कृषि आराजीयात अपीलांटगण के नियमन योगय है फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण की नियमन योग्य भूमि के संबंध में बेदखली व लगान का पचास गुणा पेनाल्टी आरोपित किया जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर संक्षिप्त कार्यवाही किये बगैर अपीलांटगण के विरूद्ध बेदखली व लगान की पचास गुणा पेनाल्टी राशि आरोपित किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाने निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किया जाने योग्य है। इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजीयात राजकीय भूमि दर्ज अभिलिखित हैं एवं अपीलार्थी का कब्जा राजकीय भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखती है, जिससे अपीलार्थी की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार राजकीय भूमि भूमि आवंटन/नियमन योग्य नही है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपने अपील मेमों में आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः तहसीलदार, बस्सी के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है। इस पर बहस के रिवटल में अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया पटवारी हल्का सोनगर ने जानबूझकर राजनैतिक दबाव में पर्चा मौका कायम कर रिपोर्ट देकर प्रकरण दर्ज करवाया हैं, अपीलार्थी के अलावा अन्य व्यक्तियों का भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण है। अन्य ग्राम वारिसान के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही नहीं करके केवल द्वैषतावश अकेले अपीलार्थी को अतिक्रमण का दोषी कायम करके बेदखली का आदेश पारित करने में वैधानिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें। इसी ईश्तुदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **2006(1) RRT** पेज संख्या 272, **2009(2) RRT** पेज संख्या 1378 पेश किये। हमने पत्रावली का बागौर अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का दृष्टिपात किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि

91 Unauthorlsed occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1[(2) Such trespasser shall further be liable to pay, for 'each agricultural year during the whole or any part where of has been in such unauthorized occupation of the land, a penalty which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be, for the first act of trespass. In the case of each subsequent ad of trespass, he shall by the order of Tehsildar, be liable to commitment to civic person for a term which may extend to three months and to pay penalty to the extent as aforesaid. The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue, and]

1[(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under subsection (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own bond for such periods will afford him sufficient time present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall so long as he is so released on bond be deemed to be suspended]

(4) In any of the following cases, namely.-

(i) where the trespasser does neither vacate the land not make appearance in response to the notice issue under sub-section (3), or

(ii) where in response to such notice, the trespasser does not vacate the land and makes appearance but-

(a) does not show any such cause, or

(b) makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the Tehsildar shall, unless, in the case covered by clause (ii) the trespasser under-takes to vacate the land within a week's time-and vacates it whine such time order the removal of the trespasser from such land and shall remove or depute any person, to remove him therefrom and take possession thereof; and if the Tehsildar or the person so deputed is opposed or !impeded in taking possession of such land, the Tehsildar shall apply to a Magistrate having jurisdiction and such Magistrate shall enforce the surrender of the land to the Tehsildar.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Tehsildar may, in case any such land belongs to the category specified in clause (ii) of the proviso to Section 97, sell it, with the approval of the Sub-Divisional Officer, to the trespasser upon payment by him of the premium therefor at the rate fixed under Section 96 and applicable to such land in addition to the assessment and penalty recoverable from him under sub-section (2) in respect of the whole period of unlawful occupation

1[(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) - (a) whoever occupies any land without lawful authority or, having occupied such land before corning into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1992, fails to remove such occupation within fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Tehs!Idar shall, on convich`on, be punished with simple imprison- ment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which'may extend to twenty thousand rupees; and

(b) whoever, being an employee of the State Government specifically entrusted by an order of the Collector in writing with the duty to stop or prevent an offence punishable under this sub-section wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop of prevent such offence, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both :

Provided that, in the case of an offence under clause (a), the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month :

Provided also that no investigation of an offence under clause (a) of this sub section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police :

Provided further that no court shall take cognizance of an offence under clause (b) except with the previous sanction of the Collector.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। भूमि बिलानाम दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार बस्सी ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया एवं अपीलार्थी द्वारा आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण होना अपील मेमों में अंकित किया गया है, इसके साथ ही अपीलार्थीगण की और से किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे विवादित आराजीयात का नियमन हेतु अपीलार्थीगण पात्रता रखते है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजीयात पर अपीलार्थी का किसी भी प्रकार से हक हिस्सा निहित है तो अपीलार्थी इस संबंध में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में प्रश्नगत आराजीयात राजकीय भूमि दर्ज रिकार्ड हैं जिस पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया है, विवादित आराजीयात राजकीय भूमि दर्ज रेकार्ड है उस पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण को प्रोत्साहन दिया जाना उचित नहीं है। हमने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी से प्राप्त अभिलेख का बागौर अवलोकन, परिशीलन/परीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.08.2021 का अवलोकन किया। अपीलार्थी/अप्रार्थी को जारी नोटिस का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पांगी नहीं होते हैं, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर नियमानुसार निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2021 विधि सम्मत होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2021 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

हस्तगत प्रकरण में मियाद प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किया जाना शेष है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के आवेदन क्रमांक 1 पर दिनांक 29.09.2021 को जारी की गई। ऐसी स्थिति अपीलार्थी को प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 29.09.2021 को प्राप्त होना जाहिर होता है, इसके साथ ही राजकीय अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा कोरोना माहमारी का कथन किया गया है तो इस संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी प्रस्तुती में विलम्ब को क्षम्य किये जाने का कोई ठोस आधार अपीलार्थीगण पत्रावली पर प्रस्तुत करने में पूर्णतया असफल रहे जिससे

Web Copy - Not Official

अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर पोषणीय नहीं पाई जाती है। इसके साथ ही उपरांकित विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थीगण गुणावगुण पर भी खारीज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 001/2022 अनवानी कुका वगैराह बनाम सरकार अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दु पर एवं गुणावगुण(दोनों) पर सारहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा अपने प्रकरण संख्या 009/2021 निर्णय दिनांक 05.08.2021 अनवानी सरकार बनाम कुका वगैराह को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **<u>10.08.2022</u>** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official